न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 17/2019 नामान्तरकरण अपील

1. श्रीमति कमला देवी पत्नि स्व. श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम झूपड्या राजावतान तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. मनोज पुत्र स्व. श्री जगदीश
3. संजय कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश
4. शारदा पुत्री स्व. श्री जगदीश
5. सीमा पुत्री स्व. श्री जगदीश
6. सोनल पुत्री स्व. श्री जगदीश

(क्रमांक 2 से 6) समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम झूपड्या तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 123 दिनांक 12.11.2010 द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा)

उपस्थिति :– 1. श्री राजकुमार तिवाडी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2. श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगा. 6 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 26.08.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम झूपड्या राजावतान तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 21 रकबा 0.01 है. खसरा नं. 22 रकबा 5.03 है., खसरा नं. 24 रकबा 0.01 है., कुल किता 3 कुल रकबा 5.05 है. के खातेदार स्व. जगदीश पुत्र मूलचन्द थे। जिनके देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण सं. 123 दिनांक 12.11.2010 को पटवारी हल्का द्वारा भर कर तस्दीक करवा लिया गया। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट के पति स्व. श्री जगदीश की मृत्यू के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण खोला गया। उसमें अपीलान्ट कमला देवी की जगह सुनीता देवी दर्ज कर दिया गया। पटवारी हल्का व तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलान्ट के बिना पहचान के दस्तावेज एवं बिना अपीलान्ट से पूछताछ किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। जिसमे अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलान्ट की पहचान के समस्त दस्तावेजात कमला देवी के नाम से ही बने हुए है उसके बावजूद पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम उक्त नामान्तरकरण में गलत दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 12.11.2010 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 123 में अपीलान्ट का नाम सुनीता देवी की जगह कमला देवी दर्ज किये जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट के पति स्व. श्री जगदीश की मृत्यू के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण खोला गया। तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित प्रश्नगत नामान्तरकरण अपीलान्ट के बिना पहचान के दस्तावेज एवं बिना अपीलान्ट से पूछताछ किये ही तस्दीक किया गया है। जिसमे अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलान्ट के समस्त दस्तावेज कमला देवी के नाम से ही बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार की मजमे आम की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व विधिवत व काननून जांच करके नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 123 दिनांक 12.11.2010 में अपीलान्ट का नाम सुनीता देवी की जगह कमला देवी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

जवाब बहस में स्व. श्री जगदीश के वारिसान रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगा. 6 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि हमें अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस बाबत् रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगा. 6 द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अ. आदेश 1 नियम 10 व धारा 51 सीपीसी प्रस्तुत कर मृतक स्व. श्री जगदीश के वारिसान मनोज, संजय कुमार, शारदा, सीमा, सोनल को भी बतौर रेस्पोडेन्ट्स 2 लगा. 6 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एवं उक्त सभी रेस्पोडेन्ट्स को अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामा. 123 दिनांक 12.11.2010 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official